केन्द्रीय विद्यालय महू
KENDRIYA VIDYALAYA MHOW

92, कनिंघम रोड, महू92, Cunnigham Road, Mhow
जिला इन्दौर (म.प्र.)Distt. Indore (M.P)
पिन कोड/PIN CODE – 453441
Email: ppl.mhow@kvs.gov.in Phone No. 07324-272640

तत् त्वं पूषन् अपावृणु
केन्द्रीय विद्यालय संगठन

फा 1-10 / केविम / 2023-2024/ दिनांक :20.12-2023

नीलामी सूचना

केंद्रीय विद्यालय महू के विभिन्न विभागों की अनुपयोगी वस्तुओ का निस्तारण सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से 22.12.2023 शुक्रवार को प्रातः 10 बजे विद्यालय परिसर में किया जायेगा | सभी इच्छुक व्यक्तियों /पार्टियों को सूचित किया जाता है की उक्त तिथि, समय और स्थान पर बोली लगाने के लिए एकत्रित हो | मौके पर सुबह 9:30 बजे से 10 बजे तक सामग्रियों की स्थिति का निरिक्षण किया जा सकता है | प्रत्येक लेख के लिए सबसे कम बोली राशि प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय महू द्वारा तय की जाएगी | उच्चतम बोली स्वीकार की जाएगी | सामग्री उच्चतम बोली लगाने वाले को "जहाँ है जैसा है ‘‘के आधार पर दी जाएगी |

कर्मचारी अथवा उनके परिवार का कोई भी सदस्य या संबंधी इस नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र नहीं होंगे। विद्यालय अधोहस्ताक्षरी के पास इस नीलामी को कभी भी निरस्त या स्वीकार करने के लिए सर्वाधिकार सुरक्षित रहेंगे |

नीलामी निम्नलिखित नियम एवं शर्तों पर की जायेगी। -

1) बोली लगाने वाले को नीलामी के समय घोषित किये जाने वाले नियमो का पालन करना होगा|
2) बोलीदाता को बोली के साथ पते के प्रमाण (मतदाता पहचान पत्र आधार कार्ड) और पैन कार्ड की प्रति अवश्य सलग्न करनी होगी।
3) आरक्षित मूल्य नीलामी के समय ही प्रकट किया जायेगा |
4) प्रत्येक बोलीदाता को 500/- नीलामी में भाग लेने के पूर्व धरोहर राशि के रूप में ड्राफ्ट \चेक \UPI\RTGS के माध्यम से जमा करना होगा |
5) सबसे अधिक बोली लगाने वाले को मद बेचे जायेगे | आंशिक बोली किसी मामले में स्वीकार्य नहीं होगी।
6) सफल बोलीदाता को पूर्ण भुगतान पुष्टि होने के 02 दिन के भीतर करना है जो कि केन्द्रीय विद्यालय महू के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट/ऑनलाइन भुगतान / चेक के माध्यम से /नगद राशी के रूप में होगा। इस विभाग द्वारा बोलीदाता को एक बार दिया गया कोई भी सामान किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं लिया जायेगा|
7) सफल बोलीदाता से अपेक्षित होगा कि बोली राशि के भुगतान के बाद 05 दिन के भीतर सभी मदों को उठवाना होगा। सफल बोलीदाता को निपटान वस्तुओं को उठाने के लिये वाहन, मजदूर इत्यादि की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
8) सफल बोली दाता नीलामी सामग्री को उचित तरीके से निपटाने/ निरस्तीकरण के लिए जवाबदेह होगा, इस हेतु प्रमाण पत्र भी देना होगा |
9) नीलामी हो जाने के बाद विद्यालय की किसी भी प्रकार की जवाबदारी नहीं होगी।
10) इस संबंध में पार्टियों/बोलीदाताओं के किसी भी विवाद के लिये प्राचार्य, केन्द्रीय विद्यालय महू का निर्णय अंतिम होगा।

प्राचार्य
प्राचार्य / Principal
केंद्रीय विद्यालय महू
केन्द्रीय विद्यालय, महू (म.प्र.)
Kendriya Vidyalaya, MHOW (M.P.)

वितरण:

1. अध्यक्ष विद्यालय प्रबंधन समिति विद्यालय महू
2. उपायुक्त केन्द्रीय विद्यालय संगठन क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल को सूचनार्थ हेतु।
3. प्राचार्य समस्त केंद्रीय विद्यालय क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल
4. विद्यालय नोटिस बोर्ड
5. विद्यालय वेबसाइट